RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/09/KPHO/2014-17
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

अगस्त-2016 | वर्ष - 08 | अंक : 07 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. इं. राम अवतार चौधरी , इं. के. के. लाल (बन्थरा) मा.छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, बी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
फुरकान खान, मो. : 8081577681
राकेश समुन्द्रे, मो. : 9889727574
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर, एड. कमलेश, लखनऊ
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कन्नौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
घिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपावक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-नवीन मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0005307

कांग्रेस नेता के बेटे ने किया दलित उत्पीड़न

नार्थ स्टार हॉस्पिटल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

सेवा में माननीय अक्ष्यक्ष महोदय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली विषय-प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने विषयक प्रार्थना पत्र महोदय विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थिनी श्रीमती उमेश्रवरी देवी पत्नी सियाराम जाति चमार निवासनी-जे-54/10, साहनी कालोनी ओ०ई०एफ० स्टेट, थाना छावनी जिला कानपुर नगर, उ० प्र० है प्रार्थिनी के पति सियाराम ओ०ई०एफ० में सेवारत हैं जिसकी वजह से ओ०ई०एफ० कर्मचारिों के परिवारीजनो को C.G.H.S. के अन्तर्गत चिकित्सा की सुविधा नार्थ स्टार हास्पीटल, 25/11 केनाल रोड कानपुर से अनुमन्य है। 2-यह कि प्रार्थिनी की सास श्रीमती केशर, उम्र 60 वर्ष को आँखों में सूजन व दिखाई न देने के रोग से पीड़ित होने के कारण जिन्हें निर्माणी के कम्बाइन्ड अस्पातल में 30/01/2016 को दिखाया था जिसे कम्बाइन्ड अस्पताल में LLR को रिफर कर दिया था OPD का पर्चा संलग्क सं० 1 है। 3- यह कि दिनांक 30/01/2016 को मेरे पति ने ओ०ई०एफ० प्रशासन से श्रीमती केशर का इलाज नार्थ स्टार हास्पीटल से कराने के लिए विधिवत अनुमति प्राप्त की थी अनुमति पत्र संलग्रक सं० 2 है 4-प्रार्थिनी के पति सियाराम ने दिनांक 30.01.2016 को समय दोपहर 12.55 बजे नार्थ स्टार हास्पीटल में भर्ती कराया था। 5- दिनांक 31.01.2016 को डा० सोनिया दमेले, नेत्र रोग विशेषज्ञ को उनके क्लीनिक विरहाना रोड कानपुर पर जाकर दिखाया गया जिनका पर्चा संलग्न सं० 3 है। 6- यह कि दिनांक 01.02.2016 को नार्थ स्टार हास्पीटल, कानपुर के द्वारा बिल कम स्टीमेट रू० 44320/- का श्रीमान महाप्रबंधक ओ० ई० एफ० के नाम बनाकर दिया संलग्न सं० 04 है। 7-श्रीमती डा० सोनिया दमेले ने जो दवाइयाँ लिखी थीं वो दवाइयाँ प्रार्थिनी के पति न्यू भाटिया केमिस्ट, हैलट के सामने से खरीदी थीं संलग्न सं० 05 है। 8- प्रार्थिनी दिनांक 02.02.2016 को सायं 7 बजे डा० सोनिया दमेले की क्लीनिक पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अपनी मरीज केसर को मेरे क्लीनिक में लेकर आइये यहाँ पर मशीन हैं, पुनः विधिवत जाँच कर देखेगे कि आँख में कितना आराम मिला है प्रार्थिनी अपनी सास (मरीज केशर) को लेने नार्थ स्टार हास्पीटल गयी वहीं पर मुझे मेरे पति सियाराम भी मिले प्रार्थिनी पूरी बात अपने पति को बताई। 9 यह कि दिनांक 02.02.2016 को सांय लगभग 07.20 बजे मेरे पति सियाराम ने नार्थ स्टार हास्पीटर के रिसेप्शन सीट पर बैठकर अनुराग सिंह से कहा कि मरीज केशर को डा० सोनिया दमेले के क्लीनिक लेकर अभी जाना है परन्तु वह मोबाइल पर बात कर रहा था और मेरे पति सियाराम की बात को अनसुनी करते हुये कि 10 मिनट बाद बात करूंगा, अभी मैं मोबाइल पर बात कर रहा हूँ परन्तु समस्या यह थी कि तभी डर यह था कि डा० सोनिया दमेले अपनी क्लीनिक से उठ जायेगी और कहीं चली जायेगी इस कारण हम लोगों को थोडी जल्दी थी तभी हम लोगों ने कहा कि मरीज को ले जाने दीजिए हम दिखाकर मरीज को तुरन्त लाते हैं और तभी मेरे पति मरीज केशर का हाथ पकड़कर चलाकर नीचे ले आये तभी ऊपर से एक कर्मचारी ने जोरदार चीखकर आवाज दी कि मरीज को जाने मत देना उसी समय रिसेप्शन पर बैठे अनुराग सिंह ने मेरे पति के साथ मारपीट शुरू कर दी और मरीज को भी धक्का दे दिया तभी श्री शोभित जायसवाल (संचालक नार्थ स्टार हास्पीटल भी आ गये और बोले कि मेरे चेम्बर में चलिए। 10- यह कि श्री शोभित जायसवाल मुझे और मेरे पति सियाराम और मरीज केशर (सियाराम की माँ) को अपने चेम्बर जो तलघर में है, ले गये। 11-यह कि तलघर में कमरे के अंदर शोभित जायसवाल और सरदार सनी सिंह मौजूद थे जिन्होंने प्रार्थिनी के पति सियाराम को माँ बहिन की भद्दी-2 गालियाँ देते हुए कहा कि तुम ओ०ई०एफ० में नेतागीरी करते हो मैं तुम्हें जानता हूँ मैं पूर्व केन्द्रीय ग्रहमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का भतीजा हूँ तुम दो टके के चमरे साले चमरे मादरचोद, मोसडी वाले तेरी यह औकात की हमारी बिना मर्जी के तू मरीज को अस्पताल से ले जाने की ताकत दिखाता है साले इतने जूते मारूँगा कि तेरे सिर पर एक भी बाल नहीं बचेंगे और मेरे पति को लात घूसों से मारना शुरू कर दिया, देखते ही देखते मेरी सास (मरीज) और मेरे विरोध करने और अपने पति को बचाने पर प्रार्थिनी और प्रार्थिनी की सास को भी झापड़-झापड और लात घूसों से मारा और प्रार्थिनी को जमीन पर गिरा दिया जिससे प्रार्थिनी के अंग वस्त्र धोती खुल गयी और बेपर्दा हो गयी, तब भी उपरोक्त लोग प्रार्थिनी को लातों से मारते रहे और साली चमरिया ज्यादा नेतागिरी करती है और कहा कि कि अब तुम्हें जहाँ भी इसकी शिकायत करनी हो कर देना मैंने इस पर कहा कि मैं श्री प्रकाश जायसवाल को इस बात की शिकायत करूंगी तो उसने कहा कि वह मेरे ताऊ जरूर हैं उनसे भी कह कर देख लेना, उन्हें जो भी उखाड़ना हो, उखडवा लेना। 12-यह कि तभी शोभित जायसवाल ने 100 नं० पर टेलीफोन कर पुलिस को बुला लिया पुलिस के सामने भी सरदार सनी सिंह ने मेरे पति को मारा परन्तु पुलिस ने उनके चेम्बर से निकाल कर पुलिस की वैन में प्रार्थिनी के पति सियाराम को बैठा लिया तभी पुलिस ने शोभित जायसवाल से कहा कि आप भी गाड़ी में बैठिए तभी शोभित पुलिस वालों से बात करके खुद गाड़ी ने न बैठ कर और प्रार्थिनी के पति को भी गाड़ी से उतार कर पुनः अपने चेम्बर (तलघर) में ले गया यह बात सी.सी.टी.वी. कैमरे में पूरा वाकिया देखा जा सकता है। 13-यह कि चेम्बर में मेरे पति व हम सब को ले जाकर पुनः बेदर्दी से मारा और कहा कि अब मामला पुलिस में हो ही गया है अब तुमको जी भर मार लें और अधमरा कर दिया सरदार सनी सिंह ने कहा कि इसको जान से मार दो परन्तु मेरे बहुत रोने, गिडगिडाने पर कहा कि तुम्हें कुछ लिख कर देना होगा जिस पर मरता क्या न करता कि तर्ज पर हम सभी राजी हो गये और मेरे पति से अपनी मनमानी इबारत सरदान सनी सिंह ने लिखवाई और मेरे पति के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान बनाया प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति व मरीज ही दोषी सिद्ध किये है जो कि गन प्वाइंट पर यह सब कृत्य करवाया गया 14-यह कि प्रार्थिनी के पति ने 40,000/- रू० का बिल पेमेंट कर दिया उसकी कोई रसीद नहीं दी और कहा कि साले अगर कहीं शिकवा शिकायत की तो तुझे जान से मरवा देंगे या किसी ऐसे केस में फंसवा देंगें कि तुम जेल में पड़े-पड़े सड जाओगे प्रार्थिनी एफ.आई.आर. लिखवाने थाना फीलखाना, कानपुर नगर आयी है मुझे, मेरे पति सियाराम व मेरी सास केशर को काफी गहरी व अन्दरूनी चोटें आयी है प्रार्थना अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र पर थाना फीलखाना प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी गयी निवेदन है कि थाना प्रभारी, थाना फीलखाना, कानपुर नगर को आदेशित किया जाए आपकी महान कृपा होगी दिनांक प्रार्थिनी sd अंग्रेजी अपठनीय हस्ताक्षर 11.02.2016 (श्रीमती उमेश्रवरी देवी) पत्नी श्री सियाराम निवासरी म० न० जे-54/10, साहनी कालोनी, कैण्ट, कानुपर नगर नोट-मैं हे० मु० 379 जहीर अहमद प्रमाणित करता हूँ कि प्रा० पत्र की नकल शब्द व शब्द बोल-बोल कर म०का०क्लर्क सीसीटीएनएस 145 राधा यादव द्वारा कम्पयूटीकृत कराई गयी।

अध्याय : 10 अस्पृश्य क्या कहते हैं श्री गांधी से सावधान

III

इन सब प्रश्नों के संबंध में श्री गांधी के पास क्या उत्तर हैं? श्री गांधी के मित्रों के पास इसका क्या स्पष्टीकरण हैं? श्री गांधी के अस्पृश्यता निवारण आंदोलन में बहुत सी पेचीदगियां हैं, विरोधाभासं और अस्थिरता है। कहीं आक्रामक भावना है तो, कहीं समर्पण की भावना पाई जाती है। आगे बढ़ना, पीछे हटना, जैसी रहस्यमय बातें हैं। वह इस आंदोलन की क्षमता में विश्वास करते हैं और अधिकांश संख्या में लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोई ईमानदारी और निष्ठा नहीं है। इसलिए इसका कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह श्री गांधी की ईमानदारी और निष्ठा की कीर्ति फैलाने वाला प्रयत्न है, न कि उनके उद्देश्य और तौर–तरीकों को समझाने का। पाठक श्री गांधी और उनके अनुयायियों से यह जानने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं।

निस्संदेह पाठकों को यह जानने की उत्कंठा होगी कि श्री गांधी और उनके मित्र इन प्रश्नों के उत्तर में क्या कहना चाहते हैं? जो इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है, उसके लिए एक स्वाभाविक है कि उत्तर सुनने की उसकी कितनी उत्कंठा होगी। वे चाहे जिस ढंग से और जब चाहें उत्तर दें, हम उन पर छोड़ते हैं। फिलहाल यह हमसे पूछा जा सकता है कि श्री गांधी तथा उनके अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के विरूद्ध अस्पृश्य क्या कहना चाहते हैं। श्री गांधी के आंदोलन के संबंध में अस्पृश्यों का दृष्टिकोंण स्पष्ट करना कठिन नहीं है।

क्या अस्पृश्य श्री गांधी को अपनी मांगों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के रूप में देखते हैं? उत्तर नकारात्मक है। वे श्री गांधी में निष्ठा की कोई झलक नहीं पाते। यह कैसे हो सकता है? वे उस मनुष्य को अपनी मांगों के प्रति कैसे गंभीर मान सकते हैं जो 1921 में जो बारदोली कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अस्पृश्यता निवारण के विरूद्ध रहा हो? वे उस मनुष्य को कब और कैसे अपनी मांगों के प्रति ईमानदार मान सकते हैं जिसने स्वराज्य फंड के लिए एकत्र किए गए एक करोड़ 25 लाख रूपयों में से चिर–उपेक्षित अस्पृश्यों के हित में कंजूसी के केवल 43 हजार रूपये स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की? वे उस व्यक्ति से क्या आशा रख सकते हैं जिसने 1924 में अस्पृश्यता निवारण के लिए हिंदुओं को विवश करने का अवसर मिलने पर भी, कुछ नहीं किया यद्यपि उसे उस समय शक्ति का अवसर दोनों प्राप्त थे? ऐसा करने से तीन उद्देशों की प्राप्ति होती। इससे कांग्रेस के राष्ट्रवाद की परीक्षा हो जाती। इससे अस्पृश्यता निवारण में सहायता मिलती और इससे यह भी सिद्ध हो जाता कि क्या श्री गांधी अस्पृश्यता की बुराई के बारे में जो कहते हैं वह हृदसे से कहते हैं और इसे एक पाप तथा हिंदू धर्म पर कलंक मानते हैं। परंतु श्री गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि गांधी जी को अस्पृश्यता निवारण की अपेक्षा चरखा कातने में अधिक रूचि थी? क्या इससे यह नहीं प्रतीत होता कि अस्पृश्यता निवारण का श्री गांधी के कार्यक्रम में कोई विशेष स्थान नहीं है? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि श्री गांधी अपने बयानों में जो कहा करते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर धब्बा है और अस्पृश्यता निवारण के बिना स्वराज्य नहीं होगा – यह केवल लारालप्पा एवं धोखा था। इसके प्रति उनकी कोई ईमानदारी नहीं थी? वे श्री गांधी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने गुरूवयूर मंदिर को अस्पृश्यों के लिए न खोलने पर अनशन करने का वचन दिया, मंदिर न खुलने पर उन्होंने अनशन पर चुप्पी साध ली। मंदिर उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया? पहले तो श्री गांधी ने मंदिर प्रवेश विधेयक को पेश कराने का प्रयत्न किया परंतु बाद में उस तरफ से हाथ खींच लेने के लिए वह भी सहमत हो गए। इस स्थिति में उन पर कैसे विश्वास किया जाए? श्री गांधी की निष्ठा में कैसे विश्वास किया जाए, जो यह कहते रहे हैं कि मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा, जो अस्पृश्यों के लिए न खोला गया हो। तब तो उन्हें अस्पृश्यों के लिए मंदिर खुलवाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए थे, परंतु उन्होंने क्या किया? श्री गांधी में कैसे विश्वास किया जाए, जो छोटी–छोटी बातों पर अनशन कर बैठते थे, परंतु अस्पृश्यों के पक्ष मे कभी अनशन नहीं किया? श्री गांधी में अस्पृश्य कैसे विश्वास करें जो अपने प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो सत्याग्रह करते हैं, परंतु अस्पृश्यों के लिए हिंदुओं के विरूद्ध कोई सत्याग्रह नहीं करते? वे अस्पृश्य श्री गांधी में कैसे विश्वास करें, जो केवल अस्पृश्यता के दोषों पर उपदेश देने में कुशल हैं, पर अस्पृश्यों के लिए कुछ करने के नाम पर शून्य?

क्या अस्पृश्य श्री गांधी को उनके ऐसे कर्मों के कारण ईमानदारी और निष्कपटता का दर्जा दे सकते थे? वे कहते हैं कि श्री गांधी ईमानदार नहीं हैं। स्वराज्य आंदोलन के समय श्री गांधी ने अस्पृश्यों से ब्रिटिश सरकार का पक्ष लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने उनसे कहा था कि इसका हल हिंदू धर्म में ही निकल आएगा। श्री गांधी ने हिंदुओं से अस्पृश्यता निवारण को स्वराज्य प्राप्ति की एक शर्त बतलाया था। तब भी 1921 में तिलक स्वराज्य फंड से अस्पृश्यों के लिए अत्यन्त कम धनराशि 43 हजार रूपये स्वीकार की गई थी। जब समिति ने अस्पृश्योत्थान की योजना को निष्प्राण कर दिया तब श्री गांधी विरोध में एक शब्द भी नहीं बोले।

श्री गांधी के पास तिलक स्वराज्य फंड का एक करोड़ 25 लाख रूपया था। श्री गांधी ने उस धनराशि में से अस्पृश्योत्थान के लिए पर्याप्त धन क्यों नहीं निश्चित किया? यह निस्संदेह सच है। श्री गांधी अस्पृश्यों के हितों के संबंध में पूर्णतया अनमनापन रखते थे। उस मनोवृत्ति के लिए श्री गांधी का स्पष्टीकरण बहुत विचित्र है। उन्होंने कहा कि वह स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन की योजना तैयार करने में व्यस्त थे और उसी कारण उन्हें अस्पृश्यों की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला। उन्होंने अपनी सफाई में केवल अपना टालमटोल का रवैया ही नहीं स्पष्ट किया, बल्कि अस्पृश्यों के प्रति अनमनेपन का नैतिक औचित्य प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस तर्क का सहारा लिया कि उन्होंने देश के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने को समर्पित किया हुआ माना है और अस्पृश्यों के हित को अलग रख कर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि उनके विचार से हाथी के पांव में सबका पाव होता है और यह कि हिंदू स्वयं अंग्रेजों के गुलाम हैं, ऐसी दशा में एक गुलाम दूसरे गुलामों का उद्धार कैसे कर सकता है। दासानुदास और हाथी के पाव में सबका पाव अच्छे मुहावरे हैं। परंतु वे इससे बढ़कर कोई सच नहीं बता सकते कि यदि देश की दौलत बढ़ती है, तो समझा जाता है कि देश के प्रत्येक नागरिक की दौलत बढ़ती है। परंतु हम गांधी जी एक तत्त्वदर्शी नहीं मानते। हम उनकी गंभीरता का विवेचन कर रहे हैं। क्या हम उस मनुष्य की ईमानदारी को सही मान लें जो अपनी जिम्मेदारियों के हाथ झाड़ कर पल्ला छुड़ा ले और कोई बहाना गढ़ ले? क्या अस्पृश्य विश्वास कर लें कि श्री गांधी उनके हितैषी हैं?

तब अस्पृश्य श्री गांधी को ईमानदार और निष्ठावान कैसे कह सकते हैं जब वे उनके प्रति तथा मुसलमानों और सिखों के प्रति संवैधानिक संरक्षणों के मामले में दोगली नीति अपनाते हों?

श्री गांधी अस्पृश्यों और अन्य अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण देने पर अपने दोगलेपन का औचित्य समझाने के लिए एक और दलील देते हैं। उनका तर्क है कि मुसलमानों और सिखों की पहचान करने के लिए वे ऐतिहासिक कारणों से विवश हैं। उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया कि वे कौन से कारण हैं? इसके सिवा वे कुछ नहीं कह सकते कि मुसलमान और सिख शासक जातियां रही हैं। श्री गांधी के ऐसे बचकाना और गैर–प्रजातांत्रिक तर्कों के आगे झुक जाने का कौन बुरा नहीं मानेगा। तब भी वह सीना ठोक कर कह सकते थे कि वह सभी अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार करेंगे तथा ऐसे बेतुके और बेकार तर्कों को कोई महत्व नहीं देंगे। प्रश्न यह है कि ऐसे तर्क श्री गांधी को अस्पृश्यों की मांगों का विरोध करने से कैसे रोक सकते थे? श्री गांधी ने अपने तर्क में ऐतिहासिक कारणों के अतिरिक्त किन्ही अन्य कारणों से न बंधे होने का दावा क्यों किया? श्री गांधी ने यह क्यों नहीं सोचा कि यदि मुसलमानों ओर सिक्खों के बारे में ऐतिहासिक कारण हैं, तो क्या अस्पृश्यों के संदर्भ में नैतिक कारण नहीं हैं? वास्तविकता तो यह है कि ऐतिहासिक कारण का तर्क केवल खोखला तर्क है, जिसे तर्क की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह अस्पृश्यों की मांगे न मानने का एक बहाना मात्र है।

जब श्री गांधी को बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के प्रश्न का सामना करना पड़ता है, तब वह सकते में पड़ जाते हैं। तब वे भूज जाने और आंख मूंद लेने में ही गनीमत समझते हैं। परंतु परिस्थितियां उनका पीछा नहीं छोड़ती और उन्हें उन समस्याओं पर विचार करना ही पड़ता है। पिछली बार 21 अक्टूबर 1939 के हरिजन के संपादकीय में "फिक्शन आफ मेजोरिटी" विषय पर लिखा गया लेख बचकानापन ही है। उस लेख में श्री गांधी ने उन लोगों की खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं की, जो लगातर उस प्रश्न को उठाते रहे हैं। उस लेख में श्री गांधी ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने सिक्खों और भारतीय ईसाइयों को भी अल्पसंख्यक मानने से इंकार कर दिया। उनका तर्क है कि तकनीकी दृष्टि से वे इसलिए अल्पसंख्यक नहीं हैं कि उन्हें सताया गया है। वे मात्र संख्या बल में अल्पसंख्यक हैं। इसलिए असल में वे अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं। तब अनुसूचित जातियों के बारे में श्री गांधी का क्या विचार हैं? क्या वे इंकार कर सकते हैं कि वे अल्पसंख्यक हैं? मैं श्री गांधी के ही शब्दों का हवाला देता हूँ :–

"मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि भारत में वास्तव में ऐसे अल्पसंख्यक हैं ही नहीं जिनके अधिकार स्वाधीनता के बाद खतरे में पड़ जाएंगे। परंतु दलिल वर्ग अपवाद है, जो स्वयं अपना हितसाधन नहीं कर सकते।"

श्री गांधी के इस कथन को मान लेने से कि सही अर्थों में केवल अनुसूचित जातियां ही भारत में अल्पसंख्यक हैं, जो भारत के स्वतंत्र न होने देने पर सांप्रदायिक हिंदू बहुमत के शासन में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। अपनी अंतरात्मा की इस आवाज के बावजूद श्री गांधी इस बात पर अड़े रहे कि वे अस्पृश्यों के लिए संवैधानिक संरक्षणों की बात नहीं मानेंगे। ऐसे व्यक्ति को अस्पृश्य गंभीर और ईमानदार कैसे मान सकते हैं?

श्री गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों के राजनीतिक संरक्षण के अधिकारों का डटकर विरोध किया था। उन्होंने अस्पृश्यो की आकांक्षाओं पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी मांगों पर मिट्टी डालने के लिए और उन्हें अकेला बियाबान में छोड़ देने के लिए मुसलमानों की चौदह मांगें मान कर सौदेबाजी का कुचक्र चलाया। श्री गांधी ने अल्पसंख्यक समिति की बैठक में कहा था – "यदि वह अस्पृश्यों की मांगों पर स्वीकृति प्रदान कर देती है, तो विरोध करने वाला मैं कौन होता हूँ?" यह श्री गांधी की बड़ी गलती थी कि उन्होंने समिति के निर्णय का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया और अस्पृश्यों की मांग का विरोध करने के लिए श्री जिन्ना

द्वारा मुसलमानों के लिए पेश की हुई चौदह सूत्री मांग को ज्यों का त्यों मानते हुए मुसलमानों को अपने पक्ष में फोड़ने का प्रयास किया। यह उनकी रणनीति का एक अंग था। उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में किया। मुसलमानों की 14 सूत्री मांग के विषय में उन्होंने अस्पृश्यों की मांग का समर्थन वापस ले लेने के टेढ़े प्रश्न को उनके सामने रख दिया कि या तो वे अस्पृश्यों की मांग नामंजूर करें अथवा अस्पृश्यों का पक्ष लेकर अपनी 14 सूत्री मांग से हाथ धोएं। अंत में श्री गांधी की रणनीति मात खा गई। मुसलमानों ने 14 सूत्री मांगें भी मनवा ली और अस्पृश्यों के मामले में पाला बदला। परंतु यह कांड श्री गांधी के विश्वासघात का प्रमाण बन कर रहा गया। उस मनुष्य के चरित्र का दर्पण और क्या हो सकता है, जो दूसरे लोगों के साथ आपराधिक दुरभिसंधि के और अपने वायदे से मुकर जाए। कौन उसे अपना मित्र कहेगा? ऐसा मित्र जिसके मुंह में राम बगल में छूरी हो। ऐसे मनुष्य को अछूत कैसे ईमानदार और निष्कपट मान सकते हैं?

श्री गांधी ने सांप्रदायिक प्रश्न का निपटारा करने के लिए पंचफैसले के तौर पर मामला ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया। अस्पृश्यों की मांगों का श्री गांधी द्वारा विरोध करने पर भी ब्रिटिश सरकार ने अस्पृश्यों के राजनीतिक संरक्षण की मांग मान ली। उस पंचाट में एक पक्ष होने के कारण श्री गांधी फैसला मानने के लिए बाध्य थे। परंतु फिर भी श्री गांधी ने उस फैसले को पलीता लगाने की ठान ली और आमरण अनशन की घोषणा से दुनियां और देश को हिला दिया। उस अनशन का मुख्य उद्देश्य था, अस्पृश्यों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण की स्वीकृति वापस लेने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना। श्री गांधी के पिछलग्गुओं में से एक ने उसे युगातकारी अनशन कहा है। पता नहीं यह युगांतकारी कैसे था? यह कोई वीरता का काम नहीं था, बल्कि वीरता के विपरीत प्रयास था। उस आंदोलन का आरंभ गाधी जी ने इसलिए किया था कि उन्हें विश्वास था कि अस्पृश्य और ब्रिटिश सरकार दोनों उस आमरण अनशन की धमकी के सामने कांप उठेंगें और उनकी जिद के सामने हथियार डाल देंगें। अस्पृश्य और ब्रिटिश सरकार उनकी भमकी में आकर पीछे हटने को तैयार हो गए और हट भी गए। जब श्री गांधी को समझ में आया कि उन्होंने कोई गलत चाल चल दी है, तो उनकी सारी बहादुरी छूमंतर हो गई। श्री गांधी ने यह कह कर आमरण अनशन आरंभ किया था कि जब तक अस्पृश्यों को दिया गया संरक्षण पूर्णतया वापस नहीं लिया जाता और बिना अधिकारों के तथा बिना मान्यता दिए उन्हें पूर्णतया निस्सहाय अवस्था में नहीं छोड़ दिया जाता, तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूंगा। वही श्री गांधी कातर स्वर में कह रहे थेः "मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में है, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे?" श्री गांधी ने पूना पैक्ट पर झटपट हस्ताक्षर कर दिए, यद्यपि उस समझौते में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द नहीं किया गया था, जैसा कि श्री गांधी ने मांग की थी, वरन् कुछ और तथा भिन्न प्रकार के संवैधानिक संरक्षण दे दिए गए थे। वह समझौता इस बात का पक्का प्रमाण है कि एक रणबांकुरा रणछोड़दास बन गया। उसे अपने प्राणों और सम्मान को बचाने की व्याकुलता ने घेर लिया।

श्री गांधी के उस आमरण अनशन में कोई शूरवीरता नहीं थी। यह उनका बहुत ही अनुचित और छछोरा कार्य था। यह कृत्य अस्पृश्यों के विरूद्ध था और निस्सहाय लोगों के विरूद्ध बहुत ही खराब धींगामुश्ती थी जिसका उद्देश्य उन्हें ऐसे संवैधानिक संरक्षणों से वंचित करना था, जो उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए फैसले से मिले थे और उन्हें हिंदुओं की दया पर छोड़ देना था। श्री गांधी का यह कृत्य घृणित और दुष्टता से भरा हुआ था, फिर अस्पृश्य ऐसे मनुष्य को ईमानदार और निष्कपट कैसे कह सकते हैं?

श्री गांधी ने आमरण अनशन के बार पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। लोग कहते हैं कि श्री गांधी गंभीरता से विश्वास करते थे कि अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक संरक्षण हानिकारक है। परंतु वह व्यक्ति कैसे ईमानदार और निष्कपट हो सकता है, जिसने अस्पृश्यों की राजनीतिक मांग का विरोध किया हो, जो अस्पृश्यों को किनारे करने के लिए मुसलमानों को साथ लेने के लिए तैयार हो जाए, जिसने आमरण अनशन किया और अंत में उन्हीं मांगों को मान लिया – क्योंकि पूना पैक्ट और सांप्रदायिक फैसले में कोई अधिक अंतर नहीं है – जब उसे ज्ञात हो जाए कि विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा और विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा और विरोध भी सफल नहीं होगा– तो ऐसे मनुष्य को ईमानदार और निष्कपट कैसे कहा जा सकता है? एक ईमानदार और निष्कपट मनुष्य अस्पृश्यों की मांगों को, जिन्हें किसी समय वह हानिकारक मानता था वहीं उन्हें हानिरहित कैसे मान सकता हैं?

क्या अस्पृश्य श्री गांधी को अपना मित्र तथा सहयोगी मान सकते हैं? उत्तर नकारात्मक है। वे उन्हें अपना मित्र बिल्कुल नहीं मानते। और मान भी कैसे सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि श्री गांधी ईमानदारी से विश्वास करते हों कि अस्पृश्यों की समस्या सामाजिक समस्या है। लेकिन अस्पृश्य श्री गांधी को कैसे अपना मित्र मान सकते हैं, जो जातियों को कायम रखना चाहते हैं और अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह बात साफ है कि अस्पृश्यता केवल जातियों का फलितार्थ है और इसलिए जातियों को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता समाप्त करने की कैसे आशा की जा सकती है? ऐसा हो सकता है कि श्री गांधी ईमानदारी से सोचते हों कि छूतछात की समस्या सामाजिक प्रक्रियाओं से हल की जा सकती है। परंतु अस्पृश्य उस मनुष्य को अपना मित्र कैसे मान सकते हैं, जो हठधर्मी हो और जी जान से उस राजनीतिक प्रक्रिया के विरोध में जुटा हो, जिसके बारे में और सभी लोग सहमत हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे उस समस्या को हल करने में सहायता ही मिलेगी? उस मनुष्य को अस्पृश्यों का मित्र कैसे माना जा सकता है, जो देश में अस्पृश्यों को राजसत्ता के ऊंचे पदों पर पहुंचने देने में विश्वास नहीं रखता? राजनीतिक संरक्षणों के इस विवाद पर श्री गांधी को निम्नलिखित मांगों में से कोई एक मांग को चुनना चाहिए था। वह अस्पृश्यों के हितैषी बन सकते थे। ऐसा होने पर वह केवल अस्पृश्यों की मांगों का समर्थन ही न करते, वरन् अस्पृश्यों की ओर से मांग उठाने से पहले ही अपने आप उन मांगों का प्रस्ताव लाते और उनके लिए संघर्ष करते। क्योंकि अस्पृश्यों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, उन्हें इस खुशी से बढ़कर क्या दे सकता था कि अस्पृश्यों के लिए ऐसे प्रावधान करा दिए जाते, जिससे उनके सदस्य विधानमंडल में पहुंचते, मंत्रिमंडल में मंत्री होते और ऊंचे–ऊंचे पदों पर होते? निश्चय ही यदि श्री गांधी अस्पृश्यों के लिए लड़ने वाले योद्धा होते, तो इन सुविधाओं के लिए अवश्य लड़ते। दूसरे यह कि यदि वह अस्पृश्यों के नेता ही होना चाहते, तो कम से कम उनकी मांगों का समर्थन करने वाले सहयोगी तो हो ही सकते थे, उनको नैतिक और आर्थिक मदद तो दे ही सकते थे। तीसरा यह कि यदि श्री गांधी अस्पृश्यों के अगुआ और संगी साथी भी न बनते, तो दूसरी बात, जो वह कर सकते थे, वह यह थी कि अस्पृश्यों के प्रति अति प्रचारित सहानुभूति में अपनी घोषणाओं पर ही टिके रहते, तो भी अस्पृश्यों के मित्र माने जा सकते थे। फिर एक मित्र के नाते, उन्हें शुभचिंतक और निष्पक्षता का रूख अपनाना चाहिए था। अस्पृश्यों की संरक्षण की मांगों को मनवाने में बाधक न बन कर, उन्हें पूरी सहायता करनी चाहिए थी। यदि वह शुभचिंतक एवं निष्पक्ष रूख नहीं अपना सकते थे, तो शुद्ध निष्पक्षता का रूख अपनाते और अस्पृश्यों से कहते कि यदि गोलमेज सम्मेलन अस्पृश्यों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार हो, तो उन्हें वे मिल जाए। श्री गांधी इस कार्य में न उनकी सहायता करते और न ही रोड़ा ही अटकाते। इन मर्यादायुक्त विचारों को ताक पर रख कर श्री गांधी अस्पृश्यों के दुश्मन बन कर उतर आए तब ऐसी दशा में अस्पृश्य श्री गांधी को अपना मित्र एवं सहयोगी कैसे मान सकते हैं?

IV

श्री गांधी का वह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन असफल रहा। यहां तक कि कांग्रेसी अभिलेखों में भी यही बात स्वीकार की गई है। उनमें से मैं कुछ का उद्धरण दे रहा हूं :– 17 अगस्त 1939 को बम्बई विधान सभा में अनूसूचित जाति के सदस्य, श्री बी.के. गायकवाड़ ने प्रश्न किया कि बम्बई प्रेसीडेंसी में 1932 से जब से श्री गांधी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया है अब तक अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोले गए हैं। कांग्रेसी मंत्री द्वारा दिए गए आंकडों के अनुसार खोले गए मंदिरों की संख्या 142 थी। उनमें से बिना स्वामित्व के 121 मंदिर थे, जो रास्ते में बने थे, जिनकी देखभाल कोई नहीं करता था और जिनमें कभी कोई भी आदमी पूजा करने के लिए नहीं जाता था। दूसरा तथ्य सामने आया कि गुजरात में श्री गांधी के अपने जिले में केवल एक मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोला गया था।

गांधी जी के 10 मार्च 1940 के गुजराती समाचार पत्र "हरिजन बंधु" में कहा गया :–

"अस्पृश्यों के पाठशालाओं में प्रवेश पाने के संबंध में अभी भी अस्पृश्यता जितनी बाधक गुजरात में है उतनी और कहीं नहीं है।"

बम्बई क्रानिकल ने 27 अगस्त 1940 के अपने अंक में हरिजन सेवक संघ के मासिक पत्र से एक अंश उद्धत किया था जो इस प्रकार है :–

"अहमदाबाद जिले में गोधावी के हरिजनों को और उनके बच्चो को स्थानीय बोर्ड के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने पर, उन्हें सवर्ण हिंदुओं द्वारा इतना सताया गया था कि 42 हरिजन परिवारों ने अन्ततः उस स्थान को छोड़ दिया और वे सानन्द के तालुक में चले गए।"

27 अगस्त 1943 को बम्बई प्रेसीडेंसी में थाना में रहने वाले अस्पृश्य नेता श्री एम.एम. नंदगावकर, जो थाना नगरपालिका के उपाध्यक्ष रह चुके थे, को एक हिंदू होटल में चाय नहीं पिलाई गई। बम्बे क्रानिकल ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए अपने दिनांक 28 अगस्त 1943 के अंक में लिखा :–

"श्री गांधी ने 1932 में जब अनशन किया था, उस समय अस्पृश्यों के लिए मंदिर और होटल खोलने के लिए ताबड़तोड़ प्रयत्न होते थे। अब मंदिर प्रवेश और होटल प्रवेश में संबंध में हालत पहले जैसी हो गई है। सब तरह से स्वच्छ हरिजन भी मंदिर तथा होटल में प्रवेश नहीं पा सकता। तब भी बहुत से अस्पृश्यता विरोधी कार्यकर्ताओं ने इन बुराइयों के विषय में कड़ा रूख न अपनाते हुए कहा है कि उन्हें ऊंचा उठाया जाए, हरिजनों को साफ रहना सिखाया जाए, तब उनकी सार्वजनिक कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी।"

जनवरी 1944 में कानपुर में अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्यवाही पर बाम्बे क्रानिकल ने 4 फरवरी 1944 को अपने अंक में लिखा :–

"हिंदू समाज इतना बेजान है कि अस्पृश्यता और सवर्ण दोनों आज भी एक साथ फलफूल रहे हैं। कुछ अंग्रेजों का मिथ्या प्रचार है कि जात–पांत में जरूर कोई जादूमंतर है कि हिंदू संस्कृति आज भी जीती जागती है। कुछ अन्य तर्क देते हैं कि सदियों से तमाम झकझोरों के बावजूद जातियों का अस्तित्व न बचता जान कर दुख होता है कि श्री गांधी तथा अन्य सुधारकों ने काफी काम दिया है, परंतु अस्पृश्यता टस से मस नहीं हुई। गांवों की कौन कहे बम्बई जैसे शहरों में झाड़ू लगाने वाले भंगी चाहे जितने साफ वस्त्र पहन कर निकलें सवर्ण हिंदू होटलों में तो कौन कहे ईरानी होटलों में चाय तक नहीं पी सकते।"

अस्पृश्यों ने सदैव यह बात कही है कि श्री गांधी का

अस्पृश्यता–विरोधी अभियान असफल हो गया है। पच्चीस वर्षों की मेहनत के बाद भी अस्पृश्यों के लिए होटल बंद हैं, कुएं बंद हैं, मंदिर बंद हैं और देश के अधिकांश भागों में मुख्यतया गुजरात में – उनके लिए स्कूल भी बंद है। समाचारपत्रों से जो उद्धरण दिए गए हैं वे स्वागत योग्य सबूत हैं, विशेष रूप से उन समाचार पत्रों से जो कांग्रेस द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्योंकि समाचार पत्र उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहे हैं, जो अस्पृश्य इस विषय में कहते आ रहे हैं। आगे ओर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं केवल एक प्रश्न पूछना है।

श्री गांधी उस अभियान में क्यों असफल रहे? मेरे विचार में उनकी असफलता के तीन कारण हैं।

पहला कारण तो यह है कि वे हिंदू जिन्हें श्री गांधी अस्पृश्यता निवारण की अपील करते हैं उनकी अपीलों को अनसुनी कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह शाश्वत सत्य है कि मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर होता है। ऐसे कथन के फलस्वरूप जो प्रभाव पड़ता है, दोनों समान नहीं होते। ऐसी बातों का क्षणिक प्रभाव होता है, फिर वह घटते–घटते लुप्त हो जाता है। श्रोता उसे किसी भाव से भी क्यों न सुन रहा हो वह वक्ता के विषय में तदनुसार अपनी धारणा बनाता है, उससे यह बात समझने में मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि श्री गांधी के अस्पृश्यों के प्रति दिए गए उपदेश हिंदुओं को प्रभावित क्यों नहीं कर सके? लोग कुछ देर उनकी प्रार्थना सभा में उपदेश सुनने के बाद मनोविनोद स्थल पा क्यों चले जाते हैं और उनके उपदेशों पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं करते? यह सारा दोष हिंदू जनता का नहीं है। दोष अपने आप में भी गांधी का है। श्री गांधी ने अपने आपको राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने वाला महात्मा बता कर ख्याति अर्जित की है, न कि आध्यात्मिक धर्मगुरू की। इसके पीछे उनके जो भी इरादे हों लेकिन श्री गांधी स्वराज्य के प्रचारक के रूप में देखे जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू श्री गांधी के राजनीतिक उपदेश को भलीभांति हृदयंगम करते हैं, परंतु उनके सामाजिक अथवा धार्मिक उपदेशों को नहीं। इसलिए उनके अस्पृश्यता विरोधी अभियान के संबंध में दिए गए उपदेश व्यर्थ जाते हैं। श्री गांधी केवल गांधीवाद राजनीतिक कारीगर हैं। इसीलिए उन्हें अपने राजनीतिक उद्देश्य तक ही चिपके रहना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि वह सामाजिक प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। यह उनकी भूल थी। एक राजनीतिज्ञ उस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए अस्पृश्य श्री गांधी से क्यों आशा करते हैं कि गांधी जी के उपदेशों से उन्हें कोई लाभ होगा?

दूसरा कारण है कि गांधी हिंदुओं से विरोध नहीं लेना चाहते, चाहे वह विरोध अस्पृश्यता विरोधी अभियान चलाने के लिए नितांत आवश्यक क्यों न हो। कुछ दृष्टांतों से श्री गांधी की मनोवृत्ति स्पष्ट हो जाती है।

श्री गांधी के बहुत से मित्र श्री गांधी को अस्पृश्यों के हितों के प्रति उनकी ईमानदारी और गंभीरता के लिए श्रेय देते हैं और आशा करते हैं कि अस्पृश्य उनमें केवल इस आधार पर विश्वास करें कि श्री गांधी ऐसे मनुष्य हैं, जो अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता पर हिंदुओं को धर्मोपदेश दिया करते हैं। वे कबीर के दोहे की अनदेखी कर देते हैं कि "पोथी पढ़–पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।" और उन्होंने श्री गांधी से कभी भी यह नहीं कहा कि वे अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता पर हिंदुओं को धर्मोपदेश देना बंद करें और अस्पृश्यता निवारण के लिए सत्याग्रह अभियान चलाएं और अनशन करें। यदि वे श्री गांधी से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगे, तो उन्हें मालूम होगा कि श्री गांधी केवल अस्पृश्यता पर धर्मोपदेश देकर आत्म–संतुष्टि क्यों कर लेते हैं।

श्री गांधी धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे, इसके सही कारण अस्पृश्यों की जानकारी में सबसे पहले 1929 में उस समय आए, जब 1929 में अस्पृश्यों ने बम्बई प्रेसीडेंसी में अपने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए मंदिर प्रवेश एवं सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के लिए हिंदुओं के विरूद्ध सत्याग्रह आरंभ किया, तो उन्हें आशा थी कि उस सत्याग्रह में श्री गांधी का अशीर्वाद उन्हें मिलेगा, क्योंकि गलतियों को सुधारने का हथियार सत्याग्रह श्री गांधी का ही हथियार था। जब सत्याग्रह के लिए श्री गांधी से समर्थन करने की अपील की गई तो श्री गांधी ने हिंदुओं के विरूद्ध छेड़े गए सत्याग्रह अभियान की निंदा का बयान जारी करके अस्पृश्यों को आश्चर्य में डाल दिया। उस विषय में श्री गांधी द्वारा दिया गया तर्क बहुत अजीब था। श्री गांधी ने अपने बयान में कहा था कि सत्याग्रह हथियार का प्रयोग केवल विदेशियों के विरूद्ध किया जाए। अपने ही भाइयों अथवा देशवासियों के विरूद्ध नहीं। क्योंकि हिंदू अस्पृश्यों के भाई हैं और अस्पृश्यों के साथ ही इसी देश के वासी हैं वे सत्याग्रह अधिकार से वंचित कर दिए गए। एक धर्मात्मा के ऐसे हास्यास्पद कथन को श्री गांधी ने अपने ही हथियार सत्याग्रह को बकवास साबित कर दिया। श्री गांधी ने ऐसा क्यों किया? केवल इसलिए कि वह हिंदुओं को नाराज करना और उत्तेजित करना नहीं चाहते थे।

दूसरे प्रमाण के तौर पर मैं कविता की घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। कविता अहमदाबाद में एक गांव है। वर्ष 1935 में अस्पृश्यों ने उस गांव के हिंदुओं से मांग की कि अन्य हिंदू बच्चों के साथ–साथ अस्पृश्यों के बच्चों को भी गांव के स्कूल में भरती किया जाए। इस पर चिढ़ कर हिंदुओं ने बदले में अस्पृश्यों का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार से संबंधित घटनाएं श्री ए.वी. ठक्कर द्वारा रिपोर्ट में वर्णित की गई थीं, जो अस्पृश्यों की ओर से मध्यस्थता करने के लिए कविता गए थे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी :–

"ऐसोसियेटेड प्रेस ने 10 तारीख को घोषित किया कि कविता के सवर्ण हिंदू हरिजन बच्चों को कविता गांव के स्कूल में भरती करने के विषय में सहमत हो गए हैं। अहमदाबाद के हरिजन सेवक संघ के मंत्री द्वारा 13 तारीख को इसका प्रतिवाद किया गया। मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि हरिजनों ने उस स्कूल में अपने बच्चे न भेजने का निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं लिया था, वरन् सवर्ण हिंदुओं द्वारा ऐसा बयान देने के लिए उन्हें विवश किया गया था। इस मामले में गांव के मरासियाओं ने, जिन्होंने गांव के गरीब हरिजनों के विरूद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की थी– गरीब हरिजन, जुलाहा, चमार और दूसरे लोग थे, जिनकी संख्या 100 परिवारों से अधिक की थी। वे खेतों में मेहनत करने के वंचित कर दिए गए थे। चरागाहों में उनके जानवर घास चरनें नहीं जा सकते थे और उनके बच्चे दूध के लिए तरसते थे। यही नहीं, एक हरिजन नेता को महादेव की कसम खाने के लिए विवश किया गया कि वह और उसके दूसरे साथी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। इस प्रकार मामला तय हुआ।

"परंतु 10 तारीख को उस जाली समझौते की खबर के बाद भी और गरीब हरिजनों के पूर्णतया आत्मसमर्पण करने पर 19 तारीख तक सामाजिक बहिष्कार वापस नहीं लिया गया था और आंशिक रूप से जुलाहों पर 22 तारीख तक लागू रहा। वह बहिष्कार चमारों पर से थोड़ा पहले उठा लिया गया क्योंकि गरासिया अपने मुर्दा जानवरों को स्वयं नहीं हटा सकते थे और इसलिए उन्होंने चमारो से पहले समझौता कर लिया। इतने ही अत्याचारों से इति नहीं हो गई, वरन् हरिजनों के कुओं में 15 तारीख को और फिर 19 तारीख को मिट्टी का तेल उढेल दिया गया। कोई भी कल्पना कर सकता है कि बेचारे हरिजनों पर कैसे भयानक अत्याचार किए गए, क्योंकि उन्होंने गरासिया शहजादों के साथ अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत की थी। मैं 22 तारीख को प्रातः गरासियाओं से मिला। उन्होंने कहा कि वे उस बात को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि स्कूल में ढ़ेड़ों और चमारों के बच्चे उनके बच्चों के साथ बैठें। मैं 23 तारीख को अहमदाबाद के जिलाधीश से इस आशय से मिला कि ऐसी स्थिति समाप्त करने के लिए कोई रास्ता निकल आए, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला।

"हरिजन बच्चे इस प्रकार गांव के स्कूल में पढ़ने से वंचित कर दिए गए, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। इस निराशा में हरिजनों को इतना विवश कर दिया कि वे सबके सब दूसरे गांव छोड़ देने की सोच रहते हैं।"

यह खबर श्री गांधी को दी गई थी। श्री गांधी ने क्या किया? श्री गांधी ने कविता गांव में अस्पृश्यों को निम्नलिखित सलाह दी –

"आत्म–सहायता के बराबर कोई सहायता नहीं। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। यदि सम्बन्धित हरिजन कविता की भूमि त्यागने के अपने कथित संकल्प को पूरा करेंगें तो वे न केवल स्वयं प्रसन्न होंगे बल्कि उनका भी मार्ग प्रशस्त करेगें जिन्हें इस प्रकार का व्यवहार सहना पड़ा है। यदि लोग रोजगार की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो आत्म–सम्मान की तलाश में लोगों को यह अवश्य ही कर देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हरिजनों के हितैषी कविता को छोड़ने में, जहां उनका आदर नहीं होता उन गरीब परिवारों की मदद करेगें।"

श्री गांधी ने कविता के अस्पृश्यों को अपनी जन्मभूमि त्यागने की सलाह दी परंतु श्री गांधी ने श्री ठक्कर को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह कविता के हिंदुओं पर मुकदमा चलवाएं और अस्पृश्यों को अपने अधिकार प्राप्त करने में पूरी सहायता करें? अस्पृश्यों के उत्थान के लिए यह कुछ कर सकते करते, परंतु हिंदुओं को नाराज करके नहीं। अस्पृश्यों के उत्थान के लिए श्री गांधी जैसा मनुष्य क्या भलाई का कार्य कर सकता है? इस सबसे स्पष्ट है कि श्री गांधी हिंदुओं के भले बन कर ही रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हिंदुओं के विरूद्ध छेड़े गए सत्याग्रह का विरोध किया। यही कारण है कि श्री गांधी ने अस्पृश्यों की मांगों का पूरी शक्ति के साथ विरोध किया, क्योंकि उन्हें विश्वार था कि अस्पृश्यों की मांगें उनके उद्देश्यों के विरूद्ध हैं। श्री गांधी हिंदुओं के भले बने रहने के इतने इच्छुक हैं कि उन्हें अस्पृश्यों की भलाई की कोई चिंता नहीं है। यही कारण है कि श्री गांधी का अस्पृश्यता निवारण का कार्यक्रम केवल जबानी जमा खर्च है। उसका कोई सार्थक फल नहीं है।

तीसरा कारण यह है कि श्री गांधी यह नहीं देखना चाहते कि अस्पृश्य संगठित हों और शक्तिशाली बनें। उन्हें डर है कि अस्पृश्य संगठित होकर शक्तिशाली बन कर हिंदुओं की दासता से मुक्त हो जाएंगे और हिंदुओं की ऊंच–नीच की व्यवस्था को कमजोर कर देंगे। हरिजन सेवक संघ के कार्यकलाप इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। हरिजन सेवक संघ का पूरा उद्देश्य अस्पृश्यों में अपने हिंदू स्वामियों के प्रति दास मनोवृत्ति तथा परावलंबन का भाव पैदा करना था। चाहे जिस दृष्टिकोण से संघ की परीक्षा की जाए उसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों में मानसिक दासता पैदा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

हरिजन सेवक संघ का कार्य अस्पृश्यों को लालच देकर हिंदुओं की गुलामी के जाल में फंसाए रहना है जैसे कि पौराणिक कथा की पिशाचिनी पूतना का वर्णन भागवत में किया गया है। मथुरा का राजा कंस कृष्ण को मारना चाहता था, क्योंकि ज्योतिषियों ने उसे बतलाया था कि वह कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। यह जान कर कि कृष्ण का जन्म हो गया है कंस ने पूतना से कृष्ण को उसके शैशव काल में ही मार डालने की तरकीब करने को कहा। पूतना ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और यशोदा के पास गई। उसने अपने स्तनों में जहर लगा दिया था और धाय की तरह कृष्ण को दूध पिला कर उन्हें मारने का मौका तलाश करने लगी। शेष कथानक को कहने की यहां कोई आवश्यकता नहीं। इतना कथानक कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि वास्तविक लक्ष्य

सदैव एक सा नहीं होता, जैसा कि प्रत्यक्ष उद्देश्य होता है और एक धाय भी हत्यारिन हो सकती है। संघ अस्पृश्यों के लिए वहीं है, जो पूतना कृष्ण के लिए बनी थी। संघ अस्पृश्यों को सेवा के बहाने अस्पृश्यों के दिमाग से स्वतंत्रता की भावना को समाप्त कर देना चाहता है। अस्पृश्यों ने अपने आंदोलन के आरंभ में कुछ उदार हिंदू नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। गोलमेज सम्मेलन के समय से अस्पृश्य पूर्णतया आत्म–विश्वासी होकर स्वतंत्र रूप से संगठित होने लगे। उन्होंने हिंदुओं की उदारता पर निर्भर न रह कर अपनी जो मांगे पेश की थी वे उनके अधिकार थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना का उदेश्य अस्पृश्यों की स्वतंत्रता की भावना को समाप्त कर देना था। हरिजन सेवक संघ ने छोटी–मोटी सेवाएं करके ऐसे कृतज्ञ अस्पृश्यों का झुंड इकट्ठा कर लिया था जिनसे यही प्रचार करने का काम लिया जाता था कि श्री गांधी और हिंदू ही अस्पृश्यों के संरक्षक है। आइरिश लीडर डेनियल ओकोनेल ने एक बार कहा था कि कोई भी स्त्री अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती। अस्पृश्य समझते हैं कि श्री गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यें की स्वतंत्रता चेतना को समाप्त करने के लिए की गई है जो कुछ श्री गांधी चाहते थे, वही संघ ने किया।

हरिजन सेवक संघ ने सबसे बड़ी हानि अस्पृश्य विद्यार्थियों को ऐसे छात्रावासों में रख कर पहुंचाई, जो संघ द्वारा संचालित थे। उन अस्पृश्य विद्यार्थियों पर विचार करते समय हमें महाभारत के दो महत्वपूर्ण पुरूषों की याद आ जाती है। भीष्म ने बड़े जोर शोर के साथ घोषणा कर दी कि पांडवों का पक्ष सही है और कौरवों का पक्ष गलत। परंतु जब दोनों दलों में युद्ध का समय आया तब भीष्म पांडवों के विरूद्ध कौरवों की ओर से लड़े। जब उनसे इस प्रकार कौरवों का पक्ष लेने का कारण उचित सिद्ध करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने निर्लज्जता से कह दिया कि उन्होंने कौरवों का नमक खाया है। देवासुर संग्राम में कच देवताओं का पक्षधर था। राक्षसों को संजीवनी मंत्र मालूम था, जिससे वे अपने मृत राक्षसों को जीवित कर लेते थे। देवताओं को यह मंत्र मालूम नहीं था। इसलिए वे देवताओं को जीवित न कर सकने के कारण युद्ध में पराजित हो रहे थे। देवों ने कच को राक्षसों के गुरू के पास इस निर्देश के साथ भेजा कि वह उनसे किसी प्रकार उस मंत्र को सीख कर शीघ्र वापस आ जाए। आरंभ में कच असफल रहा। अंत में वह राक्षसों के आध्यात्मिक पुरोहित गुरू शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उससे विवाह करने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गया कि देवयानी उस मंत्र को सीखने में कच की सहायता करे। देवयानी ने अपनी शर्त पूरी कर दी। परंतु कच में मंत्र प्राप्ति के पश्चात देवयानी से विवाह करने की शर्त तोड़ दी और वह यह कह कर कि विवाह की शर्त से बढ़कर उसकी जाति का हित है, रफूचक्कर हो गया।

मेरे विचार से भीष्म और कच दोनों अजीब नैतिक दुश्चरित्रता के शिकार थे जो कुछ समय के लिए स्वार्थ साधन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। इसी प्रकार हरिजन सेवक संघ द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले छात्र भीष्म और कच की भूमिका निभा कर श्री गांधी और कांग्रेस की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। जब वे छात्रावासों से बाहर आते हैं, तब वे कच की भूमिका निभाते हैं और श्री गांधी तथा कांग्रेस के विरूद्ध प्रचार करते हैं। यह देख कर मुझे बहुत दुख होता है कि अस्पृश्य नवयुवकों के लिए इस प्रकार के चारित्रिक पतन से अधिक बुरा और क्या हो सकता है। यह श्री गांधी के हरिजन सेवक संघ द्वारा अस्पृश्यों के साथ किया गया सबसे बड़ा अपराध है। इससे उन अस्पृश्यों के चरित्र का पतन किया गया है। इससे उनकी स्वतंत्र भावना को नष्ट किया गया है। यह यही हुआ जो श्री गांधी चाहते थे।

चौथा उदाहरण लीजिए। हरिजन सेवक संघ सवर्ण हिंदुओं द्वारा संचालित किया जाता है। कुछ अस्पृश्यों ने यह मांग की कि संघ अस्पृश्यों को सौंप दिया जाए और उसका संचालन अस्पृश्य स्वयं करें। कुछ अन्य अस्पृश्यों ने मांग की, कि संघ के मुख्य संचालक बोर्ड में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। श्री गांधी ने उन दोनों मांगों पर टका सा जवाब दे दिया, जो बड़े से बड़ा धूर्त व्यक्ति भी नहीं कर सकता। श्री गांधी का पहला तर्क यह था कि हरिजन सेवक संघ हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता बरतने के पाप का प्रायश्चित करने का माध्यम है। हिंदुओं को अपने किए पर अवश्य प्रायश्चित करना है। इसीलिए अस्पृश्यों को संघ के संचालन में कोई स्थान नहीं मिल सकता। दूसरा तर्क यह है कि एकत्र किया गया धन हिंदुओं से प्राप्त हुआ है, अस्पृश्यों से नहीं और क्योंकि वह धन अस्पृश्यों से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अस्पृश्य संघ के संचालन बोर्ड के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। श्री गांधी की अस्वीकृति बरदाश्त की जा सकती है, परंतु उनके द्वारा दिए गए तर्क इतने अपमानजनक हैं कि काई भी स्वाभिमानी इस संघ से वास्ता रखने से इंकार कर देगा। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि हरिजन सेवक संघ एक न्यास के समान है और अस्पृश्य उस संस्था से लाभ प्राप्त करता है। इस संबंध में कानून और प्राकृतिक न्याय को जानने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि सभी लाभप्राप्तकर्ताओं को उस न्यास के उद्देश्य और लक्ष्य जानने का पूरा अधिकार है और उन्हें यह भी जानने का अधिकार है कि धन के उपयोग के विषय में कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती जा रही हैं। लाभार्थियों को यह भी अधिकार है कि विश्वास खो जाने पर न्यासी को हटा सकते हैं। उस आधार पर संघ की प्रबंधकारिणी समिति में अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के अधिकार को अस्वीकार करना असंभव हो जाएगा। श्री गांधी इस स्थिति में भी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। एक आत्म–स्वाभिमानी अस्पृश्य इसमें स्थान पाने के लिए गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करेगा और जो भी गांधी की दान–दक्षिणा पर अस्पृश्यों के भविष्य को न छोड़ने पर विश्वास रखता है उसे श्री गांधी से झगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह स्वाभिमानी अस्पृश्य यह कहने के लिए बिल्कुल तैयार है कि यदि नीचता आभूषण है, तब श्री गांधी का तर्क लाजवाब है। यह आभूषण श्री गांधी को मुबारक हो। तब यदि अस्पृश्य संघ का बहिष्कार करते हैं, तो श्री गांधी को पतंगे नहीं लगने चाहिए।

हरिजन सेवक संघ को संचालित करने में अस्पृश्यों को भाग न लेने देने के यही वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो इससे भिन्न हैं। पहला तो यह कि यदि संघ अस्पृश्यों को सौंप दिया जाए, तो श्री गांधी और कांग्रेस के पास अस्पृश्यों पर उल्लू की लकड़ी फिराने का और कोई साधन नहीं रह जाएगा। अस्पृश्य हिंदुओं की कृपा पर निर्भर रहना बंद कर देंगे। दूसरी बात यह कि अस्पृश्य स्वतंत्र हो जाने पर अपने कल्याण के लिए हिंदुओं पर कृतज्ञता जताना बंद कर देंगे। ये ऐसे कारण हैं, जो श्री गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना के उनके सर्वोच्च उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत हैं। श्री गांधी ईसाइयों जैसी मिशन कंपाउड की भावना अस्पृश्यों में पैदा करना चाहते हैं। सही कारण है कि श्री गांधी हरिजन सेवक संघ के नियंत्रण और प्रबंध में अस्पृश्यों को सम्मिलित नहीं होने देना चाहते। क्या यह अस्पृश्यों के उत्थान की इच्छा के अनुकूल हैं? क्या श्री गांधी अस्पृश्यों को स्वतंत्रता दिलाने वाले कहे जा सकते हैं? क्या श्री गांधी अस्पृश्यों के मुक्तिदाता कहे जा सकते हैं? क्या श्री गांधी की इस करतूत से स्पष्ट नहीं है कि अस्पृश्यों को हिंदुओं की दासता से मुक्त करने के बजाए, उन्हें अधिक बड़े शिकंजे में कसना चाहते हैं। यही कारण है कि श्री गांधी का अस्पृश्यता निवारण अभियान असफल रहा।

V

अंत में सब मिला कर, क्या यह कहा जा सकता है कि क्या श्री गांधी अस्पृश्यों के छीने हुए मानव अधिकार उन्हें पुनः वापस दिला सकते हैं? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं। वे सभी अधिकार हिंदुओं के पास हैं। श्री गांधी ने उन अधिकारों को अस्पृश्यों को दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया और न उन अधिकारों की प्राप्ति करने में उन्होंने अस्पृश्यों की कोई सहायता की। उल्टे श्री गांधी ने अस्पृश्यों के मार्ग में सदैव रोड़ा अटकाया। अस्पृश्य अनुभव करते हैं कि हिंदुओं की दासता से मुक्ति पाने के उनके मानवता के अधिकार राजनीतिक सत्ता के अतिरिक्त और किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरी ओर, श्री गांधी का कहना है कि उनके उपदेश और उनकी उदारता तथा हिंदुओं का उत्साह ही अस्पृश्यों की सभी कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। क्या अस्पृश्य हिंदुओं की अनुकंपा और उनके उत्साह पर विश्वास कर सकते हैं? उनकी अनुकंपा पर विचार करना चाहिए, जो एक उन्माद है और प्रतिशोध का संगम है। परंतु अस्पृश्यों का कौन मित्र है, जो उनसे कह सकता है कि हिंदूओं की उस दयनीय अनुकंपा और उत्साह में वे विश्वास कर उन पर निर्भर करें? जब से पिछले दो हजार वर्षों से अस्पृश्यता अस्तित्व में आई है, सवर्ण हिंदुओं ने दिन प्रति दिन अस्पृश्यों का खून चूसा है। तरह–तरह से उनको विखंडित किया है और पददलित किया है। उन दो हजार वर्षों में हिंदुओं ने अस्पृश्यों पर कब दया दिखाई और उदारता बरती है? केवल आठ लाख हिंदुओं ने वह भी, जब कि श्री गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सारे देश का भ्रमण करते हुए दया की भीख मांगी। अपनी योजना को कसौटी पर कसते हुए श्री गांधी यह इच्छा व्यक्त कर सकते थे कि अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकार ही उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय हैं। वास्तव में इस मांग का औचित्य स्पष्ट है कि साधारण सूझबूझ का मनुष्य भी समझ सकता है कि अस्पृश्यों के हाथ में कार्यपालिका की शक्ति आ जाने पर उनके कल्याण का जो काम एक साल में हो सकता है, संन्यासियों के सौ वर्ष के उपदेश भी उसके सामने कुछ नहीं। परंतु अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के विषय में श्री गांधी को वितृष्णा है। तब अस्पृश्य क्यों न कहें "गांधी से सावधान रहो" जब वे यह भली भांति जानते हैं कि श्री गांधी अस्पृश्योद्धार के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को चलने नहीं देंगे, जबकि वह इस वास्तविकता से अवगत हैं कि अस्पृश्यों को सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सहायता पहुंचा कर उनका उद्धार करना पूर्णतया निष्फल रहा है।

इस संबंध में अमरीका गृहयुद्ध में संघ और दासता के संबंध में दो प्रश्नों पर राष्ट्रपति लिंकन का आचरण याद आता है। उस आचरण का परिचय श्री होरेस ग्रीले और राष्ट्रपति लिंकन के बीच वर्ष 1862 में जो पत्रव्यवहार हुआ था उससे मिलता है। श्री ग्रीले ने राष्ट्रपति को संबोधित अपने पत्र "द प्रेयर आफ टवंटी मिलियन्स" में कहा था –

"राष्ट्रपति जी। उस विस्तृत धरती पर अनिच्छुक प्रतिबद्ध बुद्धिवादी व्यक्ति नहीं है, जो संघ का हितैषी हो और यह न अनुभव करता हो कि विद्रोह को दबाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएं। साथ–साथ यह भी विचार उठते हैं कि उत्तेजित करने वाली दासता की बातें अनर्गल और व्यर्थ हैं।"

इसके उत्तर में लिंकन ले कहा :–

"यदि कुछ लोग ऐसे हैं, जो तभी संघ की सुरक्षा करेंगे, जब वे भी दासता से सुरक्षित रख सकें तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं।"

"यदि कुछ लोग ऐसे हैं, जो संघ का बचाव तब तक नहीं करेंगें, जब तक कि दासता भी समाप्त न की जाए, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं।"

'मेरा सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य संघ को बचाना है, दासता को बचाना या उसे समाप्त करना नहीं।"

यदि मैं किसी गुलाम को स्वतंत्र किए बिना संघ की सुरक्षा कर सकता हूं, तो मैं करूंगा। यदि सभी गुलामों को स्वतंत्र करके ही संघ की सुरक्षा हो सकती है, तो मैं

करूंगा और यदि कुछ गुलामों को स्वतंत्र कर और कुछ को नहीं, तो मैं उसे भी करूंगा।"

नीग्रो दासता और संघ के प्रश्न के संबंध में राष्ट्रपति लिंकन के ये विचार थे। उन विचारों से उस व्यक्ति का दूसरा ही चरित्र उभरता है, जिसे निग्रो लोगों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। वास्तव में यह स्पष्ट रूप में नीग्रो जनता के उद्धार में विश्वास नहीं करते थे। स्पष्ट रूप में जनता की सरकार, जनता द्वारा सरकार और जनता के लिए सरकार के सिद्धांत के रचयिता प्रेसीडेंट लिंकन के लिए यह एतराज करने की बात नहीं होनी चाहिए थी कि काले (नीग्रो) लोगों की सरकार श्वेत (अमरीकस) लोगों द्वारा और श्वेतों के लिए हो। श्री गांधी की भावना स्वराज्य और अस्पृश्यों के विषय में ठीक वैसा ही है जैसा कि राष्ट्रपति लिंकन की भावना नीग्रो लोगों की स्वतंत्रता के प्रश्न पर और संघ के संबंध में थी। श्री गांधी उसी प्रकार स्वराज्य चाहते थे, जिस प्रकार लिंकन अमरीकी संघ चाहते थे। परंतु श्री गांधी अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकार देकर हिंदू धर्म के ढांचे में किसी प्रकार की दरार उत्पन्न कर हानि पहुंचाने के बदले में स्वराज्य नहीं चाहते थे, जैसा कि राष्ट्रपति लिंकन तब तक नीग्रो को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे, जब तक कि अमरीकी संघ के लिए वैसा करना अनिवार्य न हो। निस्संदेह श्री गांधी और राष्ट्रपति लिंकन के विचारों में यही अंतर था। राष्ट्रपति लिंकन नीग्रो लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार हो जाते यदि ऐसा करना संघ को सुरक्षित रखने के लिए वह आवश्यक समझते। श्री गांधी की सोच उससे भिन्न है। श्री गांधी अस्पृश्यों को राजनीतिक विस्तार देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वह स्वराज्य के लिए जरूरी भी हो। श्री गांधी का रूख ऐसा है कि अस्पृश्यों को राजनैतिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए बेशक स्वराज्य खतरे में ही क्यों न पड़ जाए।

कुछ अस्पृश्य संभवतः इस विचार से प्रभावित हैं कि सारी बातें बीती हुई बातें हैं और श्री गांधी पूना पैक्ट स्वीकार कर लेने के बाद अब अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि पूना पैक्ट में वह भी एक पक्ष है। इस नाते गांधी जी से आशा की जाती है कि वह अस्पृश्यों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक तत्व मानेंगे। यह पूरा भ्रम है, क्योंकि इस बात पर विश्वास करने के बहुत से कारण हैं कि पूना पैक्ट के बाद भी श्री गांधी के विचारों में कोई अंतर नहीं आया है और अस्पृश्यों के प्रति उनका वही पुराना ढर्रा है, जैसा कि अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के विषय में पूना पैक्ट से पहले गोलमेज सम्मेलन में था। इसका प्रमाण है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों को पृथक अस्तित्व के रूप में घोषित किया और कहा कि भावी संविधान में उनकी भी राय लेना आवश्यक है। इस पर गांधी विरोध करने के लिए मैदान में उतर आए। जब वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने अस्पृश्यों का पृथक अस्तित्व घोषित किया और कहा कि संविधान में उनकी सम्मति आवश्यक है तो श्री गांधी ने कहा :–

"मैंने अनुभव किया कि कांग्रेस द्वारा राजाओं, मुस्लिम लीग और अनुसूचित जातियों के साथ भी समझौता न किए जाने को वायसराय द्वारा और बाद में भारत सचिव द्वारा भारत की स्वतंत्रता के अधिकार को अंग्रेजों द्वारा मान्यता दिये जाने के मार्ग में रूकावट के रूप में पेश किया जाना कांग्रेस और जनता के प्रति अन्याय था।

"इस विवाद में अस्पृश्यों को सम्मिलित करके ब्रिटिश सरकार के अयथार्थ प्रस्ताव को और भी अव्यावहारिक बना दिया गया है। वे जानते हैं कि अस्पृश्यों का कांग्रेस विशेष ध्यान रखती है और कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की अपेक्षा उनके हितों की रक्षा अच्छे ढंग से कर सकती है। इसके अतिरिक्त अस्पृश्य वर्ग हिंदू समाज की तरह अनेक जातियों में बंटा है और अस्पृश्य वर्गों की किसी जाति का एक सदस्य सभी अस्पृश्यों का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।"

श्री गांधी द्वारा दिया गया तर्क कितना बचकाना है। यह कहा जा सकता है कि श्री गांधी ने वायसराय द्वारा अस्पृश्यों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के विरोध में अपनी हड़बड़ी में अपना बयान देते हुए यह कहना भूल गए कि यदि वर्ग अनेक जातियों में बंटे हुए हैं और किसी एक जाति का सदस्य उन सब जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो मुसलमानों तथा भारतीय ईसाईयों के विषय में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं है। मुसलमान तीन वर्गों में विभाजित हैं – (1) सुन्नी (2) शिया और (3) मोमिन। प्रत्येक में अनेक जातियां होती है, जो आपस में खानपान तो कर सकते हैं, परंतु शादी–विवाह नहीं। भारतीय ईसाई भी (1) कैथोलिक और (2) प्रोटेस्टेंट में विभाजित है। कैथोलिक पुनः छोटे वर्गों (1) सवर्ण ईसाई और (2) अवर्ण ईसाई में विभाजित है। दोनों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जातियां होती हैं, जिनमें आपस में विवाह संबंध नहीं होते और सवर्ण ईसाई तथा गैर–सवर्ण ईसाइयों में आपस में खानपान नहीं होता और न वे एक ही गिरजे में हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि श्री गांधी पूना पैक्ट का एक पक्ष होते हुए भी पक्का इरादा किए हुए हैं कि अस्पृश्यों को पृथक अस्तित्व का दर्जा नहीं किया जा सकता और वह कोई भी तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह उनके विरोध को न्यायोचित भी न सिद्ध कर सके।

संक्षेप में जहां तक अस्पृश्यों का प्रश्न है, श्री गांधी संघर्ष के पथ पर आरूढ़ हैं। वह फिर मुसीबत पैदा कर सकते हैं। उन पर विश्वास करने का समय अभी नहीं आया है। अस्पृश्यों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा मार्ग यही है कि वे श्री गांधी से सावधान रहें।

साभार – बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय–16
पृष्ठ सं. 245 से 279
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
अगले अंक का शेष भाग .....

अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु अध्यापन एवं मार्ग दर्शन केन्द्र

इलायापेरूमल कमेटी (1969) की संस्तुति को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, डी.जी.ई. एण्ड टी.के. अधीन देश के राज्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु अध्यापन एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के स्थापना की है। इसी क्रम में वर्ष 1970 ये यह केन्द्र कानपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति की सेवा में कार्यरत है।

उद्देश्य :

1. शिक्षित अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार अभ्यर्थियो के सही मार्गदर्शन देते हुए सही दिशा निर्देशन उपलब्ध कराना।
2. अध्यापन एवं प्रशिक्षण के द्वारा बेरोजगार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यार्थियों के रोजगार बाजार की सूचना देना एवं रोजगार प्राप्त करने में अनेक कार्यक्रमों द्वारा विविध स्तर पर उनकी सहायता करना।

'सी.जी.सी.' कानपुर की गतिविधियाँ

पंजीयन पूर्व मार्गदर्शन • सम्प्रेषण पूर्व मार्गदर्शन • साक्षात्कार पूर्व मार्गदर्शन • सामूहिक पूर्व मार्गदर्शन • व्यक्तिगत/सूचना मार्गदर्शन • आत्मविश्वास कार्यक्रम • पुनरीक्षण कार्यक्रम • व्यवसायिक सूचना • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण। • टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण • कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य समूह "ग" परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग कार्यक्रम। • स्व–रोजगार • उच्च शिक्षा के साथ में भविष्यी नियोजन हेतु परामर्श • कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम • साक्षात्कार कला • अभिभावकों से विचार विमर्श • रोजगार सम्बन्धी अन्य समस्यायें।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
डी.जी.ई.एण्ड टी.

उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय परिसर, जी.टी. रोड, कानपुर

जय भीम !

बहुजन समाज पार्टी जिन्दाबाद !

जय भारत !!

बहन कु. मायावती जिन्दाबाद !!

चुनाव चिन्ह

बहुजन समाज पार्टी

सभी नगर एवं क्षेत्रवासियों को

स्वतंत्रता दिवस रक्षा बन्धन एवं जन्माष्टमी की

राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा
पूर्व मुख्यमंत्री उ.प्र.

हार्दिक शुभकामनाएं!

नन्द लाल कश्यप

प्रत्याशी 213, सीसामऊ विधानसभा, कानपुर नगर

निवेदक : सीसामऊ विधानसभा यूनिट

nanak printers 9839024050

सेवा में,

नाम श्री.....

पता .....

.....

.....

आज दिनांक 07.08.2016, दिन रविवार को द्वारिका धाम गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डा० अशोक सिद्धार्थ (सदस्य राज्य सभा), जोनल कोआर्डीनेटर बहुजन समाज पार्टी, विशिष्ट अतिथि डा० राज कुमार कुरील जी (उपनेता विधान परिषद उ०प्र०) जोन कोआडीनेटर की उपस्थिति में बहिन मायावती जी को उ०प्र० का मुख्यमंत्री बनाये जाने का संकल्प लिया गया और अपील की गयी की नन्दलाल कोरी को सीसामऊ विधान सभा का विधायक बनाकर भेजे जिससे बहन जी मुख्यमंत्री बन सकें। हजारो की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और कोरी समाज के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ पड़ी की इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जनता बहन मायावती जी को उ०प्र० का पाँचवी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हृदय से चाहते है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निम्न लोग उपस्थित थे – अनुज गौतम (मण्डल अध्यक्ष) जोनल क्वाडीनेटर प्रवेन्द्र संखवार, राहुल गौतम, राम स्वरूप संखवार, जिला प्रभारी प्रवेश कुरील, प्रमोद शर्मा, शिल्पकार दत्त सोनकर, विधान सभा अध्यक्ष कालीचरन बाल्मिकी, विधान सभा महासचिव ब्रज मोहन गौतम, लालाराम कोरी, कल्यानपुर प्रत्याशी दीपू निषाद, एस. के. वर्मा, रमेश बरार, अविनीश कनौजिया, विनीत सोनकर, बाबी निगम, मो0 अहमद, राजकुमार राजपूत, संजय राव, विकास पासवान, राजेश कोरी, पूर्व प्रत्याशी हाजी वासिक, पूर्व प्रत्याशी रजनीश तिवारी, प्रत्याशी घाटमपुर, सरोज कुरील, यश पाल पंकज, राहुल कुमार वर्मा, हीरालाल फतेहपुरिया, रामप्रसाद आजाद, गयाप्रसाद गौतम, प्रत्याशी गोविन्द नगर निर्मल तिवारी, जिला अध्यक्ष प्रशान्त दोहरे, जिला बी.बी. एफ. संयोजक सोबरन सिंह, विधान सभा संयोजक अली बख्श (संतोष), कान्ती वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, मोहिनी देवी, भोला शंकर कोरी, संजय राव विकास पासवान, मोहम्मद दानिश, मो0 शफीक अहमद इत्यादि।

श्रीराम कमल(समाजसेवी)
ग्राम-बगदौधी बॉगर, पो0-मन्धना
जिला - कानपुर नगर
मो0: 9450342251

रामचरन
पम्प आपरेटर
कानपुर विकास प्राधिकरण

अजय अहिरवार
जूनियर इंजीनियर
कानपुर विकास प्राधिकरण

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
संजीव कुमार कनौजिया
परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई (द्वितीय) उ0प्र0
जल निगम कानपुर

जगमोहन
उप निदेशक लेबर डिर्पाटमेन्ट
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

राम नरायण वर्मा
श्रम प्रर्वतन एवं संसाधन अधिकारी
अपर श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
श्यामलाल
सेवाक्रमिक, कानपुर विकास प्राधिकरण

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
कालेश्वर दयाल
पी.ए.
कार्यालय मुख्य अभियंता
राम गंगा सिचाई विभाग, कानपुर, उ0प्र0

आनन्द मोहन
संयुक्त आयुक्त
हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कानपुर